(51)

कार्यालय कलेक्टर, जिला–हरदा, म.प्र.

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक /2489 /नाजरात–5/2019 हरदा, दिनांक 28/02/2019

वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक एक वर्ष के लिये) हेतु कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा के विभिन्न प्रयोजनों अथवा जिले के शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु टेक्सी परमिट वाहन उपयोग करने हेतु प्रतिष्ठित टूर एवं ट्रेवल्स ऐजेंसियों या व्यक्ति विशेष द्वारा इच्छुक निविदाकारों से वाहन के प्रकार एवं उपयोग अनुसार दरें सीलबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है, जिसकी विधिवत कार्यवाही निम्नानुसार होगी :–

इच्छुक निविदाकार 500=00 (पांच सौ रूपये मात्र) का निविदा शुल्क बैक चालान के माध्यम से शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाये 800 अन्य प्राप्तियां में जमा कर, अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में दिनांक 07.03.2019 को सायं 5.00 बजे तक निविदा फार्म एवं शर्तें कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा नाजरात शाखा से प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म दिनांक 08.03.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा की जावेगी। तथा निविदा दिनांक 08.03.2019 को समय दोपहर 03.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निविदा में भाग लेने, निविदा की अन्य शर्तों एवं विस्तृत जानकारी, किसी भी प्रकार की शंका समाधान के निराकरण हेतु इच्छुक निविदाकार दि. 07.03.2019 तक कार्यालयीन समय में इस कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

निविदाकार अपनी निविदा निर्धारत प्रारूप में दो लिफाफो तकनीकी लिफाफा तथा वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करेंगे। निविदाकार अपनी इच्छानुसार किसी भी वाहन श्रेणी हेतु अपना प्रस्ताव दे सकते है। निविदा के साथ 2000/– की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा वाणिज्यिक बैंक की डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करनी होगी। मासिक किराये पर अनुबंधित होने वाले वाहन हेतु निविदाकार को अपने स्वयं के स्वामित्व के वाहन का ही प्रस्ताव देना होगा। निविदाकार को निविदा के साथ पेन नंबर तथा प्रस्तावित किये गये वाहनों के टेक्सी परमिट के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

2. जो भी निविदाकार/गाडी मालिक किराये के वाहन की निविदा प्राप्त करने में सफल होगा उसे निविदा में स्वीकृत होने वाली एक माह की मासिक किरायें की राशि सावधि (एफ.ड़ी.) कलेक्टर हरदा के नाम प्रस्तुत करना होगी। जो कि गाडी मालिक/निविदाकर्ता द्वारा सेवा शर्तों के उल्लंघन करने पर जब्त की जा सकेगी। तथा कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा, संबंधित राजस्व अधिकारी एवं वाहन मालिक से अनुबंध की कार्यवाही (नोटरी द्वारा स्टॉम्प पर) की जावेगी। (मासिक दर पर लिये जाने वाले वाहनों पर लागू)
3. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा किसी दिन वाहन अथवा वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कि जाकर सफल अनुबंधित निविदाकर्ता की अमानत राशि वाहन किराये की उक्त राशि को समायोजित की जावेगी।
4. वाहन की फिटनेस/मरम्मत–भुगतान आदि की समस्त जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।
5. वाहन चालक को प्रतिदिन सफेद/खाकी वर्दी में रहना होगा एवं गाडी चलाते समय नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग आदि का सेवन एवं मोबाइल पर बात नहीं करेगा।
6. निविदाकर्ता अपने स्वामित्व के वाहन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा। निविदा के समय वाहन स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
7. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्त अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की दशा में अन्य व्यक्ति अथवा फर्मो से स्वीकृत दर अनुसार वाहन किराये पर लगाये जावेंगे।
8. वाहन चालक को वाहन पर प्रतिदिन लागबुक संधारित करना होगा। जिसमें आवंटित अधिकारी का प्रमाणीकरण कराया जा[illegible]

9. वाहन दिनांक 01.01.2016 के बाद का मॉडल होना चाहिये तथा पंजीकृत ऐजेंसी पेन/टिन नंबर धारी होना चाहिये एवं स्वीकृत न्यूनतम दर से संबंधित फर्मों से शासन निर्देशानुसार भुगतान के दौरान आयकर, जी.एस.टी. या अन्य की कटौत्री की जावेगी।
10. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी कलेक्टर जिला हरदा का होगा एवं इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायिक प्रकिया की स्थिति में स्थानीय न्यायाल में ही वाद दायर की जावेगी।
11. निविदाओं को आहूत करने का मूल उददेश्य जिला कार्यालयों में शासकीय कार्यों से भ्रमण हेतु दरें निर्धारित करना है। यह आवश्यक नहीं निविदा में दर्शित प्रत्येक वाहन के लिये अनुबंध किया ही जावेगा। परंतु राजस्व अधिकारियों के लिये मासिक अनुबंध पर निर्धारित संख्या बोलेरों या समकक्ष वाहन किराये पर लिया जाना 01.04.2019 से प्रस्तावित है।
12. निविदाकर्ता को दो प्रकार की निविदाऐं प्रस्तुत करने होगें। प्रथम निविदा तकनीकी एवं दूसरी निविदा वित्तीय होगी।

13.

तकनीक्री लिफाफा	वित्तीय लिफाफा
1. अमानत राशि 2. टेक्सी परमिट 3. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (वाहन मॉडल 01.01.2016 के बाद का होना अनिवार्य) 4. पेन नंबर 5. फिटनेस सर्टिफिकेट 6. बीमा 7. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास पते की जानकारी	वित्तीय लिफाफे में निर्धारित दर एवं निविदा फार्म प्रस्तुत करनी होगी।

वित्तीय निविदा में दरें प्रस्तुत करनी होगी, जब निविदाकार प्रथम तकनीकी लिफाफा निविदा में सफल योग्य अर्थात सभी औपचारिकताऐं पूर्ण कर लेगा तभी दूसरी निविदा (वित्तीय लिफाफा) खोली जावेगी। उक्त दोनों निविदाओं के लिफाफे बंद कर एक बडे लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे।

14. वाहन अधिग्रहण के बाद वाहन में होने वाली टूट फूट/मरम्मत एवं अन्य समस्त जबावदारी वाहन मालिक की होगी।
15. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबध में निम्नलिखित में से कोई एक।

- पासपोर्ट।
- स्थायी आयकर लेखा संख्या **(PAN)** कार्ड।
- निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र **(EPIC CARD)**
- ड्रयविंग लाईसेंग।
- फ़ोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
- आधार कार्ड।

16. निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न लिखित में से कोई एक दस्तावेज मान्य होंगे।

- *अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाईल फोन बिल।*
- *अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।*
- *अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि–फिलिंग की रसीद।*
- *अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।*
- *किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।*
- स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र।
- बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
- आधार कार्ड।

17. निविदा शर्त अनुसार न्यूनतम स्वीकृत दर के निविदाकर्ता द्वारा किराये पर लगाये गये वाहन के वाहन चालक द्वारा इस कार्यालय में किसी प्रकार के मानदेय की मांग नहीं करेगा। संबंधित निविदाकर्ता द्वारा ही वाहन चालक को भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में वाहन मालिक को शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा) प्रस्तुत करना होगा।

18. निविदाकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर करने होंगे।

अपर कलेक्टर
जिला हरदा

पृ.क्र./2490/नाजरात–5/2019 हरदा, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर संचालक, (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त आशय का संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/तहसीलदार सर्व जिला हरदा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका हरदा/नगर पंचायत टिमरनी/खिरकिया के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
7. श्री राकेश पटेल जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संक्षिप्त समाचार पत्र कार्यालय कलेक्टर हरदा की वेबसाईट www.harda.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अपर कलेक्टर,
जिला हरदा